

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 08 /मर्टी/2015-16

दिनांक : 16.02.2016

आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अलौकिक, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के अनुसूचित/विनिर्दित क्षेत्र के लिए सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) के पदों पर औन्लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई विभाग से प्राप्त न्यूल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें अधिकृत पदों की संख्या निम्नानुसार है :- (पदों में कमी/युद्धि की जा सकती है।)

विशेष नोट :- इस विज्ञापन के तहत राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अध्यर्थी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अध्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अध्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मार्गे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer)

पदों की संख्या	सामान्य पद			अनुसूचित जाति वर्ग			अनुसूचित जनजाति वर्ग			पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग									
	वर्ष	संघीय समाज	वर्ष	संघीय समाज	वर्ष	संघीय समाज	वर्ष	संघीय समाज	वर्ष	संघीय समाज	वर्ष	संघीय समाज	वर्ष	संघीय समाज								
टीएसपी क्षेत्र-33 पद	13	4	1	0	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

दण्डवत् आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक - 04 पद एवं विशेष योग्यजन - B/LV-01 पद

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ -

(i) B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) Honours of a University established by Law in India.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

राजिग प-हैण्ड । राजेंग प- देण्ड-2 (9300-34800) ग्रेड पर रु. 4200/-

आयु सीमा | दिनांक 01.01.2017 को न्यूततम 18 वर्ष एवं अधिकतम 36 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अध्यर्थियों का वर्ग			अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)		
	सामान्य	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	10	13
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष				5	
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला				10	
3.	सामान्य वर्ग की महिला				5	
4.	दिघाय एवं विचिन्न विवाह (परिवर्यक्त) महिला				अधिकतम आयु सीमा नहीं	
5.	निःशक्तजन	सामान्य			10	
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग			13	
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति			15	

नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकार, सरकार एवं पूर्ण मानीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है - "Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."

अन्य विशिष्ट अधिकारी हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1.	गूतपूर्व केवों जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (लस्टटीटेव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकारी का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारबास में व्यतीत की गई अवधि के बावर छूट होगी।
2.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में हो समझा जाएगा जाके ये आयोग के समक्ष आधिकारी उपरिक्ति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
3.	रिजिस्टरी अधीकृत रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजिस्टर में स्थानान्तरित किया गया था को लिए उपरोक्त अधिकारी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
4.	कैटेट इन्स्ट्रुमेंट्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जिनकी सेवा उन्होंने एन.सी.री. में की होगी बशर्ते परिषमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें नियुक्ति आयु सीमा में हो समझा जायेगा।
5.	रिलीज़ इमर्जेंसी कमीशप्प ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्टिस कमीशप्प ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिक्ति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
6.	रिलीज़ इमर्जेंसी कमीशप्प ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिक्ति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
7.	राज्य, पंचायत नियंत्रियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकर्मी/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8.	न्यूपूर्व रेनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/पीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट -

- (1) उपरोक्त वर्षों आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अध्यर्थियों को उपरोक्त वर्षों किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गोंका (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अध्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- (3) राज्य सरकार की अधिकारी कमीशक एक, 7/6/कार्मिक/प-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार "जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीमी भर्ती के पदों के लिए भर्ती हुई हों और यदि कोई अध्यर्थी उस वर्ष की आयु भी दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।"

सहायक कृषि अधिकारी के पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की मानी दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्परतात इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अध्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकारी के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अहंता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित ईशांगिक अहंता के अंतिम वर्ष में सम्भिलित हुआ हो या सम्भिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए प्राप्त होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व ईशांगिक अहंता अंजित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। स्पष्टीकरण - उक्त सुधारों का ये ही अध्यर्थी उपरोक्त कर सकते हैं, जो आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक पद की वाहित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अध्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के अधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संलीक्षा परीक्षा आयोजित कर अध्यर्थियों की संख्या व्योग्यता सीमा तक कम कर सकता है। संलीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की सनावना है। आयोग अपने व्यविधेक से परीक्षा केन्द्र में वरिदत्तन भी कर सकता है। संलीक्षा परीक्षा लिखि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीध ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 25-02-2016 से दिनांक 26-03-2016 तक 12-00 बजे तक।



आवेदन प्रक्रिया	<p>1. ई-मित्र केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जगा करने की अन्तिम दिनांक 24-03-2016 होगी एवं ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक 26-03-2016 होगी।</p> <p>2. आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क हेतु नेट बैंकिंग/एटीएम, कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जगा करने की पूर्ति में जारी नेट-बैंकिंग सुविधा के स्थान पर अब राज्य सरकार की ऑन-लाइन ई-ग्रास (Government Receipts Accounting System) से जगा कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त ई-मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से भी परीक्षा शुल्क जगा कराया जा सकता है।</p> <p>3. अन्यथियों को उक्त परीक्षा शुल्क जगा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।</p>
आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 24-03-2016 से दिनांक 26-04-2016 तक 12-00 बजे तक।

(“आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं सेवा नियमों में वर्तीत प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार परिवर्तनोद्य होगी, तदनुसार भर्ती/परीक्षा आयोगित की जायेगी जिसके लिए यथासमय सुचित कर दिया जावेगा।”)

विशेष सूचना :— “यदि कोई अन्यथा अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर नियमित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विवाह के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साइट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अन्यथियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 ‘ऑन लाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया’ एवं ‘Guidelines for Edit Application’ का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होने इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्यथा का ही होगा।”

अन्य बिन्दु व सूचना :— परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी परीक्षार्थी हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समग्र-सामग्र एवं जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> वा <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मामी निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष दूसरांच सं.- 0146-6151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सक्रिय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।


(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव

क्रमांक : विज्ञापन सं. 08/भर्ती/2015-16/292

दिनांक : 16.02.2016

प्रतिलिपि :— निदेशक, सूचना एवं जन राज्यक निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन रख्या — 08/भर्ती/2015-16 राजस्थान रोजगार संबंध, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु मैं जाता हूँ।


सहायक सचिव